प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनाँक 26.09.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 161 वाहनों से 2,54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 26.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 161 वाहनों से 2,54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बिना प्रमाण पत्र व योग्यता व बिना रजिस्ट्रेशन इलाज करने के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4500 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय जेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को **बिना प्रमाण पत्र व योग्यता व बिना रजिस्ट्रेशन इलाज करने के अपराध में** जेल में बिताई गयी अवधि व 4500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 01.05.2001 को वादी डॉ0 प्रभाकर पाण्डेय सीएचसी हैंसर बाजार द्वारा अभियुक्त प्रभू कुमार श्रीवास्तव पुत्र राघव प्रसाद श्रीवास्तव निवासी शिवनगर कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध बिना योग्यता व प्रमाण पत्र के इलाज करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 103/2001 धारा 420 भादवि व धारा 15(2),(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर धारा 420 भादवि के अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 जुर्माने व धारा 15(2),(3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अपरहण की कहानी बता कर परिवार व पुलिस को परेशान करने वाले 6 वीं के बच्चे की कहानी, जाँच में निकली झूठी

कोंचिग जाने के डर से बनायी थी फर्जी अपहरण की कहानी

दिनांक 23.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला सन्तकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका 12 वर्षीय नाति शहर खलीलाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय से पैदल 1.30 बजे पठखौली स्थित घर जा रहा था कि रास्ते मे एक हास्पिटल के निकट काले रंग की स्वीफ्ट कार से उनके नाती का मुँह दबाकर 03 लोग उसे गाड़ी मे बैठा लिए फिर उसे इण्डस्ट्रियल एरिया के पास ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ से उनका नाति बाईपास चौराहे तक पैदल आया तथा पुलिस को सूचित किया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही प्रचलित करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा स्वयं किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु टीम का गठन किया गया।

टीम द्वारा जाँच के दौरान तथ्य प्रकाश में आय़ा कि बालक स्कूल से अकेले समय माता मंदिर, खलीलाबाद की तरफ से मेहदावल बाईपास पर आया फिर वहाँ से मेहदावल बाईपास होते हुए मगहर की तरफ एक होटल के आगे एक मैरिज हॉल तक गया। मैरिज हॉल के सामने 10 मिनट तक रुका रहा फिर वहां से उसी रास्ते वापस मेहदावल बाईपास पर आया। उस दौरान उसके आसपास कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। बालक द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कोंचिग जाने के डर से फर्जी अपहरण की कहानी बनाई थी, किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण का होना नही पाया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीरनगर* के मा0 न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार पंचम** द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास अवधि व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 209/2020 धारा 363/302/201/376AB/377 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लाल बहादुर केवट पुत्र राममिलन निवासी अकलोहना राजेबोहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 04.11.2020 को वादी की नाबालिग पुत्री को उठाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी व हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 201 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 377 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 26.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीरनगर*** द्वारा नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 354क/323/504/506 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अजय उर्फ अक्षय पुत्र दयाराम निवासी कलान थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 14.03.2022 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354क भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए धारा 7/8 पाक्सो एक्ट 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड तथा धारा 354 क भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया।